राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नरेन्द्र कुमार बनाम अंजू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. संख्या 5 की और से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो।	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम साईंवाड पटवार हल्का साईवाड भू.अ.नि. शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 1301/1188 के बाबत आवेदन किया गया कि उक्त कृषि जोत में कृषि प्रयोजनार्थ कृषि सयंत्र के आवागमन बाबत कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थी/रेस्पो. की भूमि खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.9600 हैक्टेयर में डामर रोड से लगवा पश्चिम दिशा की और उत्तर की तरफ से रास्ता प्रदान किया जावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता ने अन्डरटेंकिंग पेश की तथा तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2025 पारित करते हुये तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिया जाना उचित नही होना धारित करते हुये प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा सरसरी तौर पर रिपोर्ट प्रेषित की गयी है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी रिपोर्ट का समुचित अध्ययन एवं अवलोकन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1144/2025 **नरेन्द्र कुमार बनाम अंजू** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है| विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कृषक को उसकी कृषि जोत तक कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित किये जाने हेतु रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है परन्तु तहसीलदार द्वारा अन्य वैकल्पिक रास्तो के सन्दर्भ में अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नही किया गया है, जो उचित नही है| ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गम्भीर त्रुटी किया जाना प्रतीत होता है|

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई पक्षकारान विधिक प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पुन: पारित करे| तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो|

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर